बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0

खाद्य भवन, दारोगा राय पथ, आर0ब्लॉक रोड नं0–2, पटना–800001

पत्रांक–02:15:44:(अधि0)/2016– 3895 /पटना,दिनांक– 18/4/18

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक,अधिप्राप्ति,
मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
सभी प्रभारी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषय :– **विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के माध्यम से रब्बी विपणन मौसम 2018–19 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में।**

प्रसंगः– सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1760 दिनांक–06.04.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कहना है कि सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रासंगिक पत्र द्वारा रब्बी विपणन मौसम 2018–19 अन्तर्गत बिकेन्दीकृत अधिप्राप्ति योजना के तहत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश निर्गत किया गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य के लिए रब्बी विपणन मौसम 2018–19 अन्तर्गत 2.00 (दो लाख) मे0टन गेहूँ की अधिप्राप्ति की सम्भवना व्यक्त किये जाने के आलोक में राज्य सरकार द्वारा रब्बी विपणन मौसम 2018–19 के लिए 2.00 (दो लाख) मे0टन गेहूँ की अधिप्राप्ति हेतु संभावित लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। (जिलावार निर्धारित लक्ष्य की विवरणी संलग्न)

रब्बी विपणन मौसम 2018–19 के अन्तर्गत निर्धारित संभावित लक्ष्य किसानों के हित में इससे अधिक गेहूँ अधिप्राप्ति करने हेतु जिला स्वतंत्र है। यह अपेक्षा की जाती है कि इस लक्ष्य को अपने स्तर से प्रखंडवार/पंचायतवार निर्धारित करेगें ताकि आवश्यकतानुसार संबंधित व्यापारमंडलों द्वारा पर्याप्त तैयारी ससमय की जा सके। पैक्स/व्यापारमंडलवार गेहूँ का लक्ष्य निर्धारित करते समय संबंधित जिला पदाधिकारी गेहूँ उत्पादन की वास्तविक ऑकड़ों को ध्यान में रखते सुनिश्चित करेगें की किसी भी स्थिति में गेहूँ अधिप्राप्ति की मात्रा उत्पादन सीमा से अधिक न हो।

पूर्व की भाँति बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा स्थापित गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर प्रति लॉट 270 क्वीं0 गेहूँ की प्राप्ति किया जायगा।

प्रत्येक गेहूँ संग्रहण केन्द्र प्रभारी पैक्स/व्यापारमंडलवार प्रति लॉट प्राप्त गेहूँ की सूचना जिला प्रबंधक/अपर जिला प्रबंधक (अधिप्राप्ति) को प्रतिदिन देना सुनिश्चित किया जायगा।

रब्बी विपणन मौसम 2018–19 के लिए भारत सरकार के पत्रांक संख्या–4(1)/2017-Py.I दिनांक–15.11.2017 द्वारा गेहूँ के लिए **न्यूनतम समर्थन मूल्य 1735/**–रू0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम **दिनांक–05.04.2018 से 30.06.2018 तक प्रभावी रहेगा।**

1	गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य	1735/– रु0 प्रति क्वीटल
2	गेहूँ अधिप्राप्ति की अवधि	दिनांक–05.04.2018 से 30.06.2018 तक

राज्य के किसानों से गेहूँ की अधिप्राप्ति सहकारिता विभाग अन्तर्गत कार्यरत प्रखंड स्तर पर व्यापारमंडल/पैक्स के माध्यम से किया जाना है। जिस प्रखंड में व्यापारमंडल कियाशील नहीं है, वहाँ सक्षम पैक्स के माध्यम से गेहूँ की अधिप्राप्ति किया जाना है।

विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्थान्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति का कार्य बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा राज्य सरकार के निर्णय अनुसार नोडल एजेन्सी के रुप में करती है। गेहूँ अधिप्राप्ति से सम्बद्ध सभी राशि सरकारी राशि है।

RMS 2018-19 (MK)

किसानों से गेहूँ का क्रय संबंधित किसानों से स्व–अभिप्रामाणित प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रति किसान अधिकतम सीमा 150 क्वीं0 तक निर्धारित रहेगी ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक मिल पाए।

वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते है, वे संबंधितम किसान सलाहाकार/वार्ड सदस्य से दूसरे के जमीन पर खेती करने से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करेगें तथा ऑनलाईन पंजीकरण कराने के पश्चात् उनसे अधिकतम 50 क्वीं0 गेहूँ की अधिप्राप्ति की जायगी।

व्यापारमंडल के स्तर पर खोले गए क्रय केन्द्रों द्वारा किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित गेहूँ का क्रय नहीं किया जायगा। साथ ही किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित गेहूँ की मात्रा प्रतिवेदित न हो, इसके लिए व्यापारमंडलों के गोदामों के साथ गेहूँ संग्रहण केन्द्रों का भी भौतिक सत्यापान सुनिश्चित की जायगी।

गेहूँ अधिप्राप्ति वर्ष 2018–19 के लिये सरकार एवं निगम मुख्यालय की निम्न सर्वोच्च प्राथमिकताएँ है:–

- जिला मुख्यालय स्तर पर जिला प्रबंधक अधिप्राप्ति कार्य के लिए निगम (नोडल एजेन्सी) के प्रतिनिधि के रूप में सबसे महत्वपूर्ण एवं जिम्मेवार पदाधिकारी होगें। जिला प्रबधंक अधिप्राप्ति कार्य के प्रारंभ से ही इसके लिए स्पष्ट कार्ययोजना बनाकर निगम के आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए नियमानुसार गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य सम्पादित करेगें।
- जिला प्रबंधक गेहूँ अधिप्राप्ति में व्यवसायिक प्रवृत्ति रखते हुए प्रतिदिन अधिप्राप्ति गेहूँ से होने वाले आय–व्यय का आँकलन एवं लेखा–जोखा रखेगें तथा यह निगरानी रखेगें कि निगम द्वारा की जा रही गतिविधि से आर्थिक लाभ हो रहा है अथवा नहीं ।
- जिला प्रबंधक अधिप्राप्ति गेहूँ का टी0पी0डी0एस0 योजनान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उपयोग करना एवं एतद्सम्बन्धी प्रत्येक माह विपत्र तैयार कर निगम मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेगें। निगम मुख्यालय स्तर पर जिलावार मासिक समीक्षा में लेखा संधारण एवं विपत्र की तैयारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। विपत्र को ससमय Generate करने का संयुक्त दायित्व चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के कलस्टर लीडर का भी होगा।

1. <u>भंडारण की व्यवस्था</u>

बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा जिला स्तर पर बाजार समिति प्रांगण में गोदाम/कैप भंडारण की व्यवस्था की जा रही है। उपर्युक्त के अतिरिक्त संबंधित सभी जिला पदाधिकारी जिले में अवस्थित बाजार समिति प्रांगण में उपलब्ध गोदाम, औद्योगिक क्षेत्र के प्रांगण क्षेत्र में अवस्थित गोदाम, टाऊन हॉल, खाली पड़े बिहार राज्य वित्त निगम एवं अन्य संस्थाओं के गोदाम/कोल्ड स्टोरेज तथा बड़े–बड़े निजी गोदामों का सर्वेक्षण कराकर इसे भंडारण हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बिहार राज्य खाद्य निगम कृपया सुनिश्चित कर लें कि दिनांक–05.04.2018 के पूर्व चिन्हित भंडारण स्थल/गोदाम पर निम्नांकित तैयारियाँ पूरी कर ली गई हो :–

- जिला स्तर पर संचालित गेहूँ संग्रहण केन्द्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आँकलन के अनुरूप भंडारण हेतु गोदाम की समुचित व्यवस्था कर उसे अधिसूचित कर लिया जाय।
- पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा अधिप्राप्ति गेहूँ का परिवहन कर निगम द्वारा जिला स्तर पर संचालित गेहूँ संग्रहण केन्द्र होगा, जो सी0एम0आर0 एवं पी0डी0एस0 गोदाम से अलग होगा। केन्द्र पर स्वयं अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष समक्ष आपूर्ति करना सुनिश्चित किया जायगा।
- निर्धरित माप दंड के अनुरूप डनेज मटेरियल की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप तारपोलिन/तिरपाल की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप नाइलन की रस्सी
- घेरा बन्दी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो
- कैंप कार्यालय
- लाईटिंग की व्यवस्था
- अग्नि शामक यंत्र

- सुरक्षा व्यवस्था
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप योग्य कर्मियों की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप पंजियों का संधारण
- प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में MS- Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार कराकर प्रखंड/अनुमंडल कर्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था ।
- किसी भी परिस्थिति में अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ के भंडारण हेतु खुले गोदाम का उपयोग नही किया जायगा।
- कय केन्द्रों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना का बैनर/दीवाल अभिलेखण ।
- माप–तौल यंत्र या काँटा–वाट की माप तौल विभाग से उपलब्धता एवं इसके सत्यापन की व्यवस्था करना।
- नमी मापक यंत्र एवं इसके Caliberation की व्यवस्था ।
- पर्याप्त संख्या में हेल्परों/मजदूरों की व्यवस्था।
- पर्याप्त संख्या में गन्नी व्यवस्था।
- पैक्स/व्यापार मंडल एवं निगम संग्रहण केन्द्र द्वारा प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्यो की निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन/MS- Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रखंड/जिला/मुख्यालय को भेजने की व्यवस्था।
- सहकारिता विभाग द्वारा कय केन्द्रों पर कय संबंधित रिपोर्ट I.T based Mobile App. के माध्यम से प्राप्त कर समेकित किये जायेगें, जिसका लिंक एस0एफ0सी0 मुख्यालय /जिला कार्यालय को होगा ताकि अद्यतन कय केन्द्र की Real time reporting हो सके।
- अधिप्राप्ति अवधि (31.07.2018) समाप्त होते ही जिला पदाधिकारी सभी कय केन्द्र (पैक्स/व्यापार मंडल) से विहित प्रपत्र में गेहूँ कय का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त कर एवं उसका संयुक्त भौतिक सत्यापन जी0पी0एस0 आधारित फोटोग्राफी/विडियोग्राफी कय केन्द्रों से ही अपलोड करेगें एवं समेकित कराकर प्रतिवेदन अधिकतम 10 दिनों के अन्दर सहकारिता विभाग, निगम मुख्यालय एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को ई–मेल के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगें।
- भंडारण की व्यवस्था प्रथम आगत–प्रथम निर्गत सिद्धान्त को दृष्टिपथ रख सुनिश्चित किया जायेगा

2. <u>संग्रहण केन्द्रों पर गेहूँ प्राप्त करने की व्यवस्था।</u>

- व्यापारमंडलों द्वारा गेहूँ संग्रहण केन्द्रों में अधिप्राप्त गेहूँ जमा कराने के पूर्व जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम से विहित प्रपत्र में एक्सेपटेन्स आर्डर प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायगा। गेहूँ संग्रहण केन्द्र प्रभारी जिला कार्यालय से निर्गत एक्सेपटेन्स आर्डर के आधार पर ही व्यापारमंडलों से अधिप्राप्ति गेहूँ प्राप्त करेगें।
- व्यापारमंडलों द्वारा जमा करने हेतु लाये गये गेहूँ का वाहन सहित फोटोग्राफी कराना एवं अपलोड करना तथा उसे अभिलेख के रुप में संधारित किया जाना है।
- प्रत्येक दिन प्राप्त होने वाले अधिप्राप्ति गेहूँ का अनिवार्य रुप से ऑनलाईन प्रविष्टी सुनिश्चित किया जायगा। किसी भी परिस्थिति में बिना ऑनलाईन प्रविष्टी के गेहूँ की प्राप्ति नहीं की जायगी।

3. <u>भुगतान की व्यवस्था</u>

- पैक्स/व्यापारमंडल से गेहूँ प्राप्ति के आधार पर पैक्स से प्राप्त प्रमाण पत्र एवं विपत्रों की जांच कर 7 दिनों के अन्दर पैक्सों/व्यापार मंडलों के खाते में सीधे RTGS/NEFT के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान सुनिश्चित किया जायगा।
- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था में उच्च पारदर्शिता एवं ई–गवर्नेन्स अनिवर्याता को ध्यान में रख कर अधिप्राप्ति की पुरी प्रकिया गेहूँ कय एवं भुगतान आदि Computer Software के माध्यम से होगी। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा RTGS/NEFT प्रकियान्तर्गत जिला को भुगतान हेतु PFMS में नामित खातो से राशि आवंटित किया जायगा।

- नोडल एजेन्सी के रुप में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम अधिप्राप्ति Software के माध्यम से गेहूँ का क्रय, भुगतान एवं गेहूँ की प्राप्ति का कार्य चरणवध रुप से सम्पन्न की जायगी। इस प्रकार अधिप्राप्ति की सारी प्रकिया E-Procurement Software द्वारा सम्पादित किया जायगा।
- बिकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति में उच्च पारदर्शिता एवं E-Governance की अनिवार्यता को ध्यान में रखकर अधिप्राप्ति की पूरी प्रकिया गेहूँ क्रय, भुगतान आदि कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा।
- किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित कोई भी गेहूँ की अधिप्राप्ति एवं भुगतान नहीं की जायगी।

4. रब्बी विपणन मौसम 2018–19 हेतु प्रशासनिक प्रबंधन :–

- बिहार राज्य खाद्य निगम के अधिसूचित संग्रहण केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार अनुभवी एवं आरोप रहित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायगी।
- बिहार राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर कार्मियों की प्रतिनियुक्ति पुनः उसी स्थान पर न हो, जहाँ वे गत वर्ष पदस्थपित थे एवं जन–वितरण प्रणाली से जुड़े पदाधिकारी को अधिप्राप्ति कार्य में नहीं लागाया जायगा।

5. पैक्स/व्यापार मंडलों से गेहूँ प्राप्त करने हेतु रोस्टर की व्यवस्था :–

- बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्स/व्यापार मंडल से गेहूँ लेने के लिए पैक्स/व्यापार मंडलों का रोस्टर तैयार कर लिया जाय ताकि पैक्स/व्यापार मंडलों को यह जानकारी रहे कि किसी तिथि को उन्हें राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्र पर गेहूँ पहुँचाना है। इस व्यवस्था को इस प्रकार लागू किया जाय कि राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केन्द्रों पर अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं लगे एवं पैक्स/व्यापार मंडल सुगमतापूर्वक बिना कठिनाई के राज्य खाद्य निगम के गोदामों पर गेहूँ की सुपूर्दगी कर सके।

6. अधिप्राप्ति गेहूँ की गुणवत्ता की जाँच की व्यवस्थाः–

- रब्बी विपणन मौसम 2018–19 अन्तर्गत साफ–सुथरे एवं सुखे गेहूँ भारत सरकार द्वारा निम्न निर्धारित विनिदिष्टीयों के अनुरुप अधिप्राप्ति की जायगी।

विजातीय तत्व	अन्य खाद्यान्न %	क्षतिग्रस्त दाने %	थोड़ क्षतिग्रस्त %	सिकुड़े और छोटे दाने %
0.75	2.00	2.00	4.00	6.00

7. गन्नी बेल्स की व्यवस्था एवं प्रबंधनः–

- प्रति क्वी0 गेहूँ के लिए दो नया बोरा पैक्स/व्यापार मंडल को उपलब्ध कराया जायेगा। पैक्सों/व्यापार मंडलों को जिला सहकारिता पदाधिकारी के अधियाचना पर बोरा उपलब्ध करायी जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी पैक्सवार/व्यापार मंडलवार अधिप्राप्ति गेहूँ की मात्रा के आधार पर बोरा देगें एवं उसका लेखा–जोखा रखेगें।
- रब्बी विपणन वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत प्रयुक्त गन्नी बैग में निम्न सूचनाओं को स्टेनसिल के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगाः–
  - ✓ पैक्स/व्यापार मंडल का नाम एवं पता
  - ✓ शुद्ध वजन
  - ✓ रब्बी विपणन वर्ष
  - ✓ बोरे मुँह की सिलाई नीले रंग के धागे से की जायेगी।
  - ✓ रब्बी विपणन वर्ष 2017–18 अन्तर्गत नीले रंग का प्रयोग कलर कोड के रूप में बोरा पर किया जाना अनिवार्य है

8. प्रतिवेदनः–

- वर्ष 2018–19 में गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु केन्द्र सरकार के प्रस्तावित MOU में शर्त्त के अनुसार अधिप्राप्ति गेहूँ एवं उसके परिप्रेक्ष्य में भुगतान आदि का Online daily reporting बाध्यकारी है। Digitization से आँकड़ों की विश्वनीयता एवं शुद्धता अलावे समय पर प्रतिवेदन प्राप्ति एवं प्रेषण सुनिश्चित होगा।

➢ गेहूँ अधिप्राप्ति अवधि 30.06.2018 समाप्त होने के दो दिनों के अन्दर व्यापारमंडलों द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को अनिवार्य रुप से सौप दिया जायगा तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम अधिकतम 10 दिनों के अन्दर संयुक्त हस्ताक्षरित समेकित प्रतिवेदन निगम मुख्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेगें। ध्यान रहे की अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करने के पश्चात् उसमें किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अंततोगत्वा जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षरित संबंधित समेकित अंतिम प्रतिवेदन को जिला पदाधिकारी प्रतिहस्ताक्षरित कर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ सहकारिता विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।

विश्वासभाजन,

18/4/18

मुख्य महाप्रबंधक,अधिप्राप्ति

ज्ञापांक–02:15:44:(अधि0)/2016– 3895 पटना/दिनांक – 18/4/18

प्रतिलिपिः–सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक/ गोपनीय कोषांग/परियोजना प्रबन्धक, 4 जी आईडेन्टीटी सोल्यूशन, निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित । उन्हें निदेश दिया जाता है कि धान अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति से सम्बद्ध अपने शाखा अन्तर्गत सभी आवश्यक कार्रवाई ससमय सम्पन्न करना सुनिश्चित करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को कृत कार्रवाई एवं प्रतिवेदन से अवगत कराते रहेगें।

18/4/18

मुख्य महाप्रबंधक,अधिप्राप्ति

ज्ञापांक–02:15:44:(अधि0)/2016– 3895 पटना/दिनांक– 18/4/18

प्रतिलिपिः–महाप्रबधंक (क्षेत्र) भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/4/18

मुख्य महाप्रबंधक,अधिप्राप्ति

ज्ञापांक–02:15:44:(अधि0)/2016– 3895 पटना/दिनांक 18/4/18

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित अनुरोध है कि सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार,पटना के पत्रांक–1760 दिनांक–06.04.2018 के आलोक में अधिप्राप्ति का ससमय एवं सफल कार्यान्वयन हेतु अपने स्तर से समय–समय पर निदेश देने एवं पर्यवेक्षण करने की कृपा की जाय।

18/4/18

मुख्य महाप्रबंधक,अधिप्राप्ति

ज्ञापांक–02:15:44:(अधि0)/2016– 3895 पटना/दिनांक – 18/4/18

प्रतिलिपिः–सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–1760 दिनांक–06.04.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/4/18

मुख्य महाप्रबंधक,अधिप्राप्ति

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना

रब्बी विपणन वर्ष 2018–19 अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु जिलावार निर्धारित लक्ष्य

(मात्रा– मै0टन में)

क0सं0	जिला का नाम	जिलावार लक्ष्य	व्यापारमंडल जिलावार लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	बांका	2000	2000	
2	भागलपुर	4800	4800	
3	दरभंगा	4000	4000	
4	मधुबनी	5200	5200	
5	समस्तीपुर	10000	10000	
6	मधेपुरा	4000	4000	
7	सहरसा	4800	4800	
8	सुपौल	2000	2000	
9	अरवल	600	600	
10	औरंगाबाद	10000	10000	
11	गया	5000	5000	
12	जहानाबाद	2000	2000	
13	नवादा	2800	2800	
14	बेगूसराय	10000	10000	
15	जमुई	1400	1400	
16	खगड़िया	4800	4800	
17	लखीसराय	600	600	
18	मुंगेर	2000	2000	
19	शेखपुरा	600	600	
20	भोजपुर	11000	11000	
21	बक्सर	8000	8000	
22	कैमूर	12000	12000	
23	नालंदा	8000	8000	
24	पटना	10000	10000	
25	रोहतास	13000	13000	
26	अररिया	3000	3000	
27	कटिहार	2000	2000	
28	किशनगंज	1600	1600	
29	पूर्णिया	4000	4000	
30	गोपालगंज	5000	5000	
31	सारण	6000	6000	
32	सीवान	4000	4000	
33	पं0 चम्पारण	8000	8000	
34	पूर्वी चम्पारण	8000	8000	
35	मुजफ्फरपुर	6000	6000	
36	शिवहर	2000	2000	
37	सीतामढ़ी	5000	5000	
38	वैशाली	6800	6800	
	कुल :–	200000	200000	